

मुकदमों का विवरण

सुदेश कुमार गोयल बनाम.

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. (2013 की सिविल अपील संख्या 10861) सितंबर 21, 2023

[ऋषिकेश रॉय और पंकज मिट्टल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने वाला अपीलार्थी चयनित उम्मीदवारों में से किसी एक के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति के खिलाफ चुने जाने का हकदार है।

सेवा कानून-प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति-अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त की लेकिन नियुक्त नहीं किया गया-चयनित उम्मीदवार में से एक के इस्तीफे पर उत्पन्न हुई रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति-अपीलार्थी को नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि वह क्रम संख्या में था। 14 योग्यता और उपलब्ध पद केवल 13 थे-न्यायसंगत विवरण:

आयोजित किया गया: यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई एक शामिल होता है और फिर इस्तीफा दे देता है, तो यह एक नई रिक्ति को जन्म देता है जिसे एक उचित विज्ञापन जारी किए बिना और नई चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था-अपीलकर्ता को नियुक्त होने का कोई अनुचित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह चयन प्रक्रिया में योग्य था और नियम राज्य को विज्ञापित सभी रिक्तियों को भरने के लिए बाध्य नहीं करते हैं-प्रतिवादी-राज्य ने नियुक्तियों को उचित ठहराया है और मनमाने तरीके से काम नहीं किया है-उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ बिना किसी द्वेष के निष्पक्ष और तार्किक रूप से काम किया है-इसके अलावा, चयन वर्ष 2007 में शुरू किया गया था और तब से 16 साल बीत चुके हैं-इतने लंबे समय तक चयन प्रक्रिया को खुला रखना न्याय का उपहास होगा।

414

415

सुदेश कुमार गोयल बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47; बृज मोहन लाल (1) बनाम भारत संघ (2002) 2 एससीसी 1; बृज मोहन लाल (2) बनाम भारत संघ

(2012) 6 एस. सी. सी. 502-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2013 की सिविल अपील No.10861।

2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.16211 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

राकेश दहिया, सत्यवान कुडालवाल, आदित्य दहिया, कपिल दहिया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. मोनिका गुप्ता, राजू रामचंद्रन, अशोक माथुर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

1. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री राकेश दहिया के साथ-साथ प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन को सुना था। सुश्री (डॉ.) मोनिका गुप्तेन हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुई थीं और उन्हें भी सुना गया था।

2. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 12 रिट याचिकाओं, विशेष रूप से 2009 की रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है। उपरोक्त रिट याचिकाओं के समूह को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, लेकिन अपीलार्थी को प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई राहत नहीं दी गई थी।

416

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

3. श्री राकेश दहिया द्वारा विवादित निर्णय और आदेश को लागू करने में जिन दो कानूनी मुद्दों को संबोधित किया गया है, उन पर ध्यान देने से पहले, हम रिट याचिका के अंतिम चरण और अब उससे उत्पन्न होने वाली अपील के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण देना उचित समझते हैं।

4. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बार से सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में 22 अधिकारियों के चयन/भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, जिनमें से 14 सामान्य श्रेणी के, 5 अनुसूचित जाति के और 3 पिछड़े वर्ग के थे। चयन हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 के प्रावधानों के अनुसार बार से सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत कोटे के भीतर किया जाना था।

5. अपीलार्थी उन उम्मीदवारों में से एक था, जिन्होंने संबंधित रिट याचिकाओं को प्राथमिकता देने वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ पद के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थी, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने और योग्यता सूची में 14 वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद, नियुक्त नहीं किया गया था।

6. उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 18.05.2007 के अनुसार, लिखित परीक्षा फरवरी 2008 में आयोजित की गई थी और सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार 08.04.2008 और 09.04.2008 पर आयोजित किए गए थे। शून्य परिणाम उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 15.07.2008 पर प्रदर्शित किया गया था और अपीलार्थी को क्रम संख्या में रखा गया था। 14 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता सूची। इस तथ्य के बावजूद कि सीधी भर्ती के लिए 14 सामान्य श्रेणी के पदों का विज्ञापन दिया गया था और अपीलकर्ता प्रथम 14 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के भीतर था, जिन्होंने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की थी, उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी, जबकि प्रथम 13 उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में नियुक्त किया गया था। इन 13 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जितेंद्र कुमार सिन्हा सेवा में शामिल हुए लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

7. यह उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में है कि अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के 14 वें पद के खिलाफ अपनी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, इस आरोप पर कि उक्त पद को खाली नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से मनमाने तरीके से। यह भी तर्क दिया जाता है कि नियुक्त किए गए 13 उम्मीदवारों में से एक ने शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था और इसलिए, किसी भी मामले में अपीलार्थी को उक्त रिक्ति के खिलाफ समायोजित किया जा सकता था।

417

सुदेश कुमार गोयल बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [पंकज मिहल, जे.] 418

8. श्री दहिया ने शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 एस. सी. सी. 47 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के आलोक में तर्क दिया है कि हालांकि वह इस बात से अवगत हैं कि अपीलार्थी ने स्वयं चयन द्वारा नियुक्त होने का कोई अक्षम्य

अधिकार प्राप्त नहीं किया है, फिर भी, नियुक्ति के लिए उनके अधिकार को मनमाना दृष्टिकोण अपनाकर पराजित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों ने 14 वें पद को खाली रखने के लिए विशुद्ध रूप से मनमाने तरीके से काम किया है और अपीलार्थी की नियुक्ति द्वारा इसे लागू नहीं किया है।

9. उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद 7 निम्नानुसार है:— “यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवार नियुक्त होने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त करते हैं जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के बराबर होती है और उनके चयन पर वे पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक प्रासंगिक भर्ती नियम इस तरह से इंगित नहीं करते हैं, तब तक राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कानूनी कर्तव्य के अधीन नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से काम करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियों या उनमें से किसी को भी हटा दिया जाता है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में दर्शाया गया है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है, और हम हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य, या जतेंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई विसंगत टिप्पणी नहीं करते हैं।

10. उपरोक्त पैराग्राफ के एक साधारण अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि यह नियोक्ता या राज्य पर निर्भर करता है कि वह सभी अधिसूचित रिक्तियों को पूरा करे या उनमें से सभी या उनमें से किसी को भी खाली रखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता/राज्य उन पदों को न भरने के लिए मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है और रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से समर्थित होना चाहिए। 11. 2007 के सुसंगत नियम, राज्य को विज्ञापित सभी रिक्तियों को भरने के लिए बाध्य नहीं करते हैं।

12. प्रत्यर्थियों ने 14 वीं रिक्ति पर अपीलार्थी की गैर-नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किया कि अधिसूचना/विज्ञापन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

दिनांक 1 ने उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए 22 पदों का विज्ञापन दिया, जिनमें से 14 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले थे, लेकिन केवल 13 चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। इसका कारण यह है कि 5 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार जो दिनांक 2 की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने समावेशन के लिए आवेदन किया और 2007 की एफ. आई. एल. ई. डी. रिट याचिका 3 में मूल पदों पर उनके नियमितीकरण की मांग की, जिसका निपटारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से किया गया, जिसमें उन्हें बृज मोहन लाल (1) बनाम भारत संघ (2002) 2 एस. सी. सी. 1 के संदर्भ में उच्च न्यायालय में प्रशासनिक पक्ष में प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय की चयन समिति ने फास्ट ट्रैक न्यायालय के उपरोक्त 5 न्यायाधीशों को नए पदों पर शामिल करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, 14 सामान्य श्रेणी के पदों में से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के 5 अधिकारियों को समायोजित किया गया, इस प्रकार चयन के अनुसार केवल 9 को ही नियुक्त किया जाना था। इस बीच, संवर्ग की 20 नई रिक्तियां उपलब्ध हो गईं, जिनमें से 5 को बार से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था, (4 सामान्य श्रेणी और 1 अनुसूचित जाति श्रेणी)। इसलिए, इन 4 सामान्य श्रेणी की रिक्तियों को पहले से ही विज्ञापित रिक्तियों में जोड़ने का एक सचेत निर्णय लिया गया, इस प्रकार सामान्य श्रेणी की रिक्तियों की संख्या 13 $[14-5 = 9 + 4 = 13]$ हो गई। इस प्रकार, केवल 13 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। प्रतिवादियों ने इस तरह की नियुक्तियां करने में मनमाने ढंग से काम नहीं किया है।

13. केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के तहत, राज्य सरकारों को लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करने की आवश्यकता थी। बृज मोहन लाल (1) (ऊपर) में, उपरोक्त योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों में से कुछ जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, वे प्रदान करते हैं कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, पात्र न्यायिक अधिकारियों को पहली प्राथमिकता दी जाए, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए लागू प्रक्रिया का पालन करने के बाद तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जा सकता है। दूसरी प्राथमिकता उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दी जानी थी जिनके पास अच्छा सेवा रिकॉर्ड है और उनके एसीआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। तीसरी प्राथमिकता फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को दी जानी थी और यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करना बंद कर देता है तो उन्हें नियमित पद के खिलाफ जारी रखा जा सकता है। उन्हें बाद की भर्ती में नियमित रिक्तियों में अवशोषित किया जा सकता है यदि उनके 419

सुदेश कुमार गोयल बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [पंकज मिहल, जे.] 420

फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है और इस तरह के अवशोषण में, उच्च न्यायालय चयन के ऐसे तरीकों को अपनाएगा जो आम तौर पर सीधी भर्ती द्वारा बार के सदस्यों के बीच उच्च/उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए अपनाए जाते हैं।

14. उल्लेखनीय है कि बृज मोहन लाल (2) बनाम भारत संघ (2012) 6 एस. सी. सी. 502, अनुच्छेद 207 के अनुसार, सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप किए बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के संबंध में कुछ और निर्देश जारी किए। इनमें से एक निर्देश फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत पदों के सृजन के लिए था। एक अन्य निर्देश यह था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के तहत बार से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए सभी लोग संबंधित राज्यों की उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग में निर्धारित तरीके से नियुक्त होने के हकदार होंगे। उपरोक्त के अलावा, इसने निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद से फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिन्हें सेवा में आवश्यक अनुभव था, वे इस तथ्य को उचित महत्व देने के बाद कि वे पहले ही उच्च न्यायिक सेवा में कई वर्षों की सेवा में रह चुके हैं, 25 प्रतिशत कोटे के खिलाफ राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत होने के हकदार होंगे।

15. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि शुरू में प्रत्यक्ष कोटे के भीतर 14 सामान्य श्रेणी की रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था, जिनमें से 5 को बृज मोहन लाल (1) और (2) (उपरोक्त) में निहित निर्देशों के संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के अवशोषण द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस बीच खाली हुए सामान्य श्रेणी के 4 पदों को जोड़ते हुए, सभी 13 रिक्तियों को चयनित उम्मीदवारों से विधिवत रूप से हटा दिया गया था। अपीलार्थी को नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि वह योग्यता के क्रम No.14 पर था और उपलब्ध पद केवल 13 थे।

16. चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों को शामिल किया गया था। उपरोक्त फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति/समावेशन निर्देशों के अनुसार था

बृज मोहन लाल (1) और (2) (ऊपर) में निहित है और इसके द्वारा संबद्ध किया गया है

उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के तहत निर्णय के किस हिस्से पर विशेष रूप से हमला नहीं किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

17. प्रत्यर्थियों द्वारा केवल 13 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए दिए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को छोड़ दिया गया जो क्र. सं. में था। No.14, हमारी राय है कि उत्तरदाताओं ने नियुक्तियों को उचित ठहराया है और मनमाने तरीके से काम नहीं किया है। प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी के खिलाफ बिना किसी द्वेष के निष्पक्ष और तार्किक रूप से कार्य किया है। इस प्रकार, स्वयं अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णय की कसौटी पर, हम प्रत्यर्थियों की ओर से कोई मनमानी नहीं करते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को उपरोक्त आधार पर बाधित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, विशेष रूप से जब अपीलार्थी ने नियुक्ति का कोई अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं किया है क्योंकि वह चयन प्रक्रिया में योग्य है।

18. यह हमें दूसरे तर्क पर ले जाता है कि अपीलार्थी को चयनित उम्मीदवारों में से एक के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति के खिलाफ आसानी से समायोजित किया जा सकता था। तर्क अपने आप में योग्यता से रहित है क्योंकि सभी रिक्तियों को शुरू में अधिसूचित किया गया था। हालाँकि, यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई एक शामिल होता है और फिर इस्तीफा दे देता है, तो यह एक नई रिक्ति को जन्म देता है जिसे उचित विज्ञापन जारी किए बिना और नई चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता था। डिवाजन बेंच ने इस अदालत के विभिन्न फैसलों की मिसाल के आलोक में उपरोक्त विवाद पर सही ढंग से विचार किया है और हमें नहीं लगता कि इस संदर्भ में कोई त्रुटि की गई है।

19. इसके अलावा, जैसा कि देखा जा सकता है कि बार से सीधी भर्ती द्वारा उच्च/उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी और अब हम वर्ष 2023 में हैं जिसका अर्थ है कि इस बीच 16 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे समय तक चयन प्रक्रिया को खुला रखना और इस स्तर पर अब तक शुरू की गई चयन प्रक्रिया के आधार पर कोई भी नियुक्ति करने का निर्देश देना न्याय का उपहास होगा। इस अतिरिक्त कारण से भी, हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

20. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं और इस तरह लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर देते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन